



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-1335/JH/32/2023-ESDW

दिनांक: 13.03.2023

सेवा में,

श्री राहुल कुमार सिन्हा,
उपायुक्त,
जिला-रांची,
कचहरी चौक, ब्लॉक बी,
कमरा नंबर-504, राँची-834001,
झारखण्ड
ई-मेल: dc-ran@nic.in

श्री किशोर कौशल,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला-रांची,
झारखंड पुलिस मुख्यालय,
धुर्वा, रांची - 834004
ई-मेल: ssp-ranchi@jhpolicе.gov.in

विषय: खतियानी आदिवासी जमीन पर गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति मदन साव व अन्य के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के संबंध में, सुश्री लाली कच्छप, पति- स्व. अजय कच्छप, न्यू तारा बाबू लेन, थड़पखना, पो.- मुख्य डाकघर, थाना- लोअर बाजार, जिला- रांची (झारखंड) का दिनांक 29.01.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर उपायुक्त, जिला रांची, झारखंड के पत्र सं. 808 (ii)/विधि दिनांक 09.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करें। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जो सुनवाई/सिटिंग दिनांक 14.03.2023 को 03:00 बजे आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष होने वाली थी, अब वह दिनांक 03.04.2023 को 10:30 बजे पुनर्निर्धारित कर दी गयी है।

2. निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है की सभी दस्तावेजों के साथ पुनर्निर्धारित तिथि और समय पर सुनवाई/सिटिंग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।

3556-57
जाप्री कियारा %
14/ISSUED

भवदीय,


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी